भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 247

दिनांक 15.09.2020/24 भाद्रपद,1942 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू-कश्मीर में राजनेताओं को हिरासत में लिया जाना

†247. प्रो. सौगत राय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विषेश राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनेताओं को घर में नजरबंद किए जाने/हिरासत में रखने के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी की स्थिति के अनुसार घर में नजरबंद रखे गए राजनेताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू-कश्मीर में अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिए गए राजनेताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के पुर्नगठन के बाद जम्मू-कश्मीर में कितने आतंकवादी हमले हुए?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): जम्मू और कश्मीर सरकार ने यह सूचित किया है कि अगस्त, 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में संसद द्वारा किए गए संवैधानिक परिवर्तनों के मद्देनजर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय किए गए थे, जिनमें कतिपय व्यक्तियों की निवारक निरुद्धता (प्रिवेंटिव डिटेंशन) शामिल थी। दिनांक 11.09.2020 की स्थिति के अनुसार, 223 व्यक्ति निरुद्ध (डिटेन) किये गये हैं।

(ख): जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) नहीं हैं।

(ग): शून्य।

(घ): दिनांक 05 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात, आतंकवादी घटनाओं की संख्या में काफी कमी हुई है, जो निम्नानुसार है:-

5 अगस्त, 2019 से पूर्व दिनांक 29.06.2018 से 04.08.2019 तक (402 दिन)	5 अगस्त, 2019 के पश्चात दिनांक 05.08.2019 से 09.09.2020 तक (402 दिन)
455	211

******